न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 10/2018
दायर तिथि– 05.02.2018
तारीख फैसला– 06.09.2019

वादीनी–

1–श्रीमती लीलाकंवर धर्मपत्नी धनसिंहजी आयु 33 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी ढोला जागीर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)।

बनाम

प्रतिवादीगण–

1–महेश कुमार पुत्र एच.यू.एफ दलपतराजजी, आयु बालिग जाति लोढा जैन निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली (राजस्थान)।
2–श्रीमती राजश्री जे. पत्नी जगदीश पुरोहित आयु बालिग जाति पुरोहित निवासी जोधपुर जिला जोधपुर(राजस्थान)।
3– वगता पुत्र फौजाजी आयु बालिग
4–सुरेशकुमार पुत्र जीवारामजी आयु बालिग
5–जेठाराम पुत्र वजीयाजी आयु बालिग
6–मोहनलाल पुत्र वजीयाजी आयु बालिग
7–मिश्रीमल पुत्र वजीयाजी आयु बालिग
8–श्रीमती चुनी बेवा वजीयाजी आयु बालिग
जातिगण नाई निवासीगण ढोला जागीर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)।
9–तहसीलदार, सुमेरपुर जरिये भूमिधारी राजस्थान सरकार।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट, 1955

–:निर्णयः–

यह पत्रावली आज न्यायालय में बरोज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण के सम्मन तमाम प्रतिवादीगण के तामिल हुए लेकिन प्रतिवादीगण सं. 2 का सम्मन तामिल नहीं होने से व पता अंकित नहीं होने से प्रतिवादीगण सं. 2 के लिए वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अखबार में छायां करवाने का निवेदन किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 2 का सम्मन दैनिक नवज्योति अखबार में दिनांक 08.08.2019 को छायां करवाकर अखबार की प्रति न्यायालय में पेश की, जो शामिल पत्रावली की गयी। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 से 8 तक द्वारा उभयपक्षीय पक्षकारान में राजीनामा पेश किया। दोनों पक्षकारान को सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं रेकर्ड का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत मामलें में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं प्रतिवादी सं. 9 तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्राथमिक डिक्रि की पालना में प्रस्तुत प्रस्तावित बंटवाड़ा मय नजरी नक्शा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजों पर मनन एवं विचारण करने के पश्चात एवं प्रस्तुत राजीनामा को तस्दीक किया जाकर हमारी विधिक राय है कि सरहद मौजा ढोला जागीर तहसील सुमेरपुर में स्थित ख. नं. 829 रकबा 1.8670 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम निहित है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 से 8 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्राथमिक डिक्रि की पालना में प्रस्तुत बंटवाड़ा अनुसार अपने हिस्से अनुसार बंट की खातेदारी भूमि पर काबिज है। जिस अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के तहत बटवाड़ा निम्नानुसार किया जाता है।

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	श्रीमती लीलाकंवर धर्मपत्नी धनसिंहजी	829	0.4491 है.	बा.प्र.	3.14
2.	बगता पुत्र फौजा कौम नाई	829/2	0.1555 है.	बा.प्र.	1.09
3.	जेठाराम, मोहनलाल, मिश्रीमल पुत्रगण वजीया, पुनी पत्नि वजीया कौम नाई	829/3	0.64 है.	बा.प्र.	4.48
4.	महेश कुमार पुत्र एच.यू.एफ. दलपतराज जाति लोढा जैन साकिन घाणेराव	829/4	0.3112 है.	बा.प्र.	2.18
5.	राजश्री जे. पत्नि जगदीश पुरोहित साकिन जोधपुर	829/5	0.3112 है.	बा.प्र.	2.18

उपखण्ड अधि... ...मेरपुर, जिला...

Scanned by CamScanner

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत जरिये वादी एवं प्रतिवादी के राजीनामा स्वीकार व डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा व नक्शा अनुरूप मूल राजस्व नक्शा एवं रेकर्ड में अमलदरामद करने का आदेश प्रदान किया जाता है। साथ ही वादी के कब्जाकाश्त भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है एवं तहसीलदार सुमेरपुर उपरोक्त आदेश मुजब राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शा में तरमीम कर पालना से सुनिश्चित करें। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा।

पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला-पाली

Scanned by CamScanner